उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती—2023

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूचना का प्रकाशन

संख्याःपीआरपीबी—बी—(लिपिक संवर्ग)—21/2025, दिनांकः दिसम्बर, 10 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी—चार—1—3(लि0सं0)/2023 दिनांक 28.12.2023 के क्रम में उ0प्र0 पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 02.11.2025 को आयोजित की गई थी।

2— उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त समस्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया तथा आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों के एकाधिक पैनल से अभिमत भी प्राप्त किए गये। उपरोक्त कार्यवाही के आलोक में सभी आवश्यक संशोधन बोर्ड की वेबसाइट—http://uppbpb.gov.in पर परिणाम के लिंक में उपलब्ध है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित उत्तर कुंजी से अपने उत्तर पत्रक का मिलान कर सकते हैं।

3— ऑफलाइन लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता (प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 40 प्रतिशत अंक) प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है।

4— उक्त अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही की तिथि एवं स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी।

5— प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन पत्र में विकल्प दिया गया है, उनके द्वारा टंकण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अर्हकारी प्रकृति की आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होने एवं सफल होने की अपेक्षा की जाएगी। पद की अर्हता के लिए अपेक्षित कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता (merit) के आधार पर शासनादेश में अनुमन्य आरक्षण के आलोक में चयन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

6— यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है इसलिए इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना—पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7— यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

8— अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि बोर्ड की वेबसाइट—http://uppbpb.gov.in का अवलोकन करते रहें।

10.12.24

पुलिस उप महानिरीक्षक / अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।